

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

26 जुलाई 2017

विषय:- जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी०टी० रोड का आन्तरिक भाग के किमी० 161.800 से किमी० 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/108/2016/एफसी/69 दिनांक 01-6-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आर०ई०सी० की बैठक में इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएँ एवं तत्संबंधी अभिलेख ऑन लाईन अपलोड किये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 2691/11- सी-एफपी/ यूपी/रोड/20685/2016, दिनांक 20-7-2017 के द्वारा इंगित कमियों का निराकरण सूचनाएँ एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराया गया है।

2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 20-7-2017 के साथ उपलब्ध कराये गये सूचना/अभिलेख को ऑन लाइन कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-1668(1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।